न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/155/2025	2025/223	21.07.2025	30.10.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. जुम्मा पुत्र चावला जाति जाटव सा. पलखडी, तहसील अलवर जिला अलवर (राज0)।

—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—
01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —पैरोकार सरकार

—:निर्णयः—

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम रामनगर, तहसील अलवर की आराजी खसरा न0 14 रकबा 0.75 है0 किस्म बारानी सोयम भूमि का आंवटन किया गया, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा न0 14 रकबा 0.75 है0 किस्म बारानी सोयम भूमि वाके ग्राम रामनगर तहसील अलवर की आराजी का वर्ष 1970 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तो के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय कब्जा रहा है।

पटवारी हल्का ढहलावास की रिपोर्ट दिनांक 26.06.2025 से स्पष्ट जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा—काश्त नहीं है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद कृषि हेतु काम नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट संलग्न है।

उक्त आराजी राजस्व ग्राम रामनगर तहसील अलवर में स्थित है तथा ग्राम रामनगर राजस्थान सरकार के वन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 3(34)वन/2007 दिनांक 09.07.2012 से सरिस्का व्याघ्र आरक्षित के मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप में अधीसूचित क्षेत्र है।

अतः प्रार्थना—पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खसरा न0 14 रकबा 0.75 है0 किस्म बारानी सोयम भूमि वाके ग्राम रामनगर तहसील अलवर जिला अलवर की आराजी का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाता है। प्रार्थी द्वारा कथन किया है कि विवादित आवंटित आराजी खसरा न0 14 रकबा 0.75 है0 किस्म बारानी सोयम भूमि वाके ग्राम रामनगर मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा व काश्त नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

उक्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए किया गया था। आराजी खसरा न0 14 रकबा 0.75 है0 किस्म बारानी सोयम भूमि वाके ग्राम रामनगर गैर खातेदार अप्रार्थी जुम्मा पुत्र चावला जाति जाटव नि. पलखडी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का ढहलावास की मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार ग्राम रामनगर के आराजी खसरा न0 14 रकबा 0.75 है0 किस्म बारानी सोयम भूमि पर वर्तमान में गैर खातेदार (अप्रार्थी) का कोई कब्जा व काश्त नहीं है तथा मौके पर उपस्थित मौतबिरान द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी/आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है। मौके पर पहाड में होना बताया गया। उक्त आराजी राज0 सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 3(34)वन/2007 दिनांक 09.07.2012 से सरिस्का व्याघ्र आरक्षित के मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप बफर क्षेत्र घोषित हुआ है, जिसमें बाघ परियोजना सरिस्का अलवर बफर क्षेत्र के सीलीसेढ क्षेत्र में अलवर तहसील का रामनगर क्षेत्र सम्मिलित है। रिपोर्ट पटवारी हल्का ढहलावास से स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि का आवंटन होने के बाद अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तो के मुताबिक पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी/अप्रार्थी का आवंटन के समय से कब्जा रहा है एवं ना ही मुताबिक पटवारी मौका पर्चा अनुसार अप्रार्थी का कब्जा काश्त रहा है तथा उक्त आराजी सरिस्का बफर क्षेत्र में होने के कारण प्रतिबंधित क्षेत्र में आती है। स्पष्ट है कि अप्रार्थी एवं द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद कृषि हेतु काम में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी को आवंटित की गई आराजी खसरा न0 14 रकबा 0.75 है0 किस्म बारानी सोयम भूमि वाके ग्राम रामनगर तहसील अलवर जिला अलवर के आवंटन को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)